Statement—III

Statement Showing State-Wise Actual Expenditure Incurred (Excluding Expenditure on Construction of Buildings) on JNVS. during the year 1995-96

(Rs. in Crore)

SI.No. State	
1. Andhra Pradesh	9.90
2. Kerala	4.90
3. Karnataka	6.88
4. Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Pondicharry	1.67
5. Maharashtra	8.63
6. Gujarat	2.89
7. Goa	0.55
3. Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli	0.52
9. J. & K.	3.75
10. Himachal Pradesh	3.50
11. Punjab including Chandigarh	4.42
12. Uttar Pradesh	17.45
13. Bihar	13.33
14. Madhya Pradesh	13.96
15. Orissa	4.73
16. Mcnipur	2.76
17. Mizoram	0.45
18. Meghalaya	1.97
19. Nagaland	0.50
20. Arunachal Pradesh	1.87
21. Tripura	0.83
22. Sikkim	0.61
23. Assam	1.53
24. Rajasthan	8.36
25. Haryana	4.33
26. Delhi	0.62
TOTAL	120.91

अल्मोड़ा में आई.टी. आई. और पालिटेकनिक केन्द्र

786. **श्री राजनाथ सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुल कितने आई. टी. आई. और पालिटेकनिक केन्द्र कहां-कहां काम कर रहे है;

(ख) आठवी योजना के दौरान कहां-कहां पर ऐसे केन्द्र खोले गये थे;

(ग़) क्या यह सच है कि अल्मोड़ा जिले में भिक्रियासैण खंड में कोई आई. टी. आई. और पालिटेकनिक केन्द्र नही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र के युवकों का पलायन रोकने के लिए और उन्हे व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए नौवी योजना में भिक्रियासैण में बासोट विकास केन्द्र III और आई. टी. आई. तथा पालिटेकनिक केन्द्र की स्यापना करने का विचार रखती है, और

(ड) यदि हां, तो कब तक और यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) उतर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में 10 औद्योगिक प्राशिक्षण संस्थान तथा 4 पालिटेकनिक कार्य कर रहे है उनके स्थान विवरण में दिए गए है। नीचे देखिए)।

(ख) आठवी योजना के दौरान उतर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कोई पालिटेकनिक/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नही खोला गया है।

(ग)अल्मोड़ा के भीकियासैण खण्ड में सदरकोइरल गांव में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है। किन्तु वहां कोई पालिटेकनिक नही है।

(घ)और (ड) स्थानीय आवश्यकताओं के ध्यान में रखकर सम्बधित अभिकरणो से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने पश्रात, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पालिटेकनिकों को राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है। नौवी योजना के दौरान अल्मोड़ा जिले में पालिटेकनिको को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। अल्मोड़ा जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध विद्यामन स्थान क्षमता का भी पुरी तरह से प्रयोग नही किया जा रहा है।

विवरण

	पॉलिटेकनिकें		**औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानें**
1.	राजकीय महिला पॉलिटेकनिकें अल्मोड़ा	1.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संथान (युवक) अल्मोड़ा भिताइ (मुख्य)
2.	राजकीय पॉलिटेकनिक, द्वारहाट जिला अल्मोड़ा	2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) अल्मोड़ा (शाखा)
3.	राजकीय ग्रामीण पॉलिटेकनिक तकुंला, (जिला अल्मोड़ा)	3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सियालदे (शाखा)
4.	राजकीय पॉलिटेकनिक, सुल्ट (जिला अल्मोड़ा)	4.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत (शाख)
		5.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयन्ती (मुख्य)
		6.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काण्डा (मुख्य)
		7.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सदरकोइराल (मुख्य)
		8.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धोलादेवी (मुख्य)
		9.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाइट कार्नर अल्मोड़ा (मुख्य)
		10.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डौला (शाखा)

बाल विकास परियोजनाओं में बंरती गई अनियमितताएं

787. **श्री अजीत जोगी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बात विकास परियोजनाओं में बरती जा रही अनियमिताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरुप और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त परियोजनाओं के अंतर्गत बच्चों को दिया जाने वाला खाना घटिया किस्म का पाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में नही आयी है। तथपि, पूरक पोषाहार में व्यवधान, आई. सी. डी. एस. से भिन्न कार्यो के लिए वाहनों के प्रयोग, उपकरणों का उपयोग न किये जाने तथा बाल विकास परियोजनाओं को घटिया खाद्यों की आपूर्ति किये जाने के संबंध में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती है। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी शिकायतों को राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया जाता है। राज्य सरकार के अधिकरियों द्वारा निरीक्षणों के अलावा, खाद्य एंव पोषाहार बोर्ड की क्षेत्रीय इकाइयां भी समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत प्रदत पूरक खाद्यों की गुणवता की जांच करती है। इन निरीक्षणो के निष्कषों को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाता है।